फा.सं.25-25/2/2022/एनटी-नौमनि

दिनांक: 05.01.2024

2024 का नौमनि परिपत्र संख्या 01

विषय:-वैश्विक समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणाली के संचालन के लिए दिशानिर्देश-प्रतिबंधित ऑपरेटर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और परीक्षा तथा सक्षमता प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में।

1. परिचय:

1.1: समुद्रकर्मियों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन), 1978, यथा संशोधित, समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (सोलास कन्वेंशन), 1974, यथा संशोधित, और वाणिज्य पोत परिवहन (संकट और सुरक्षा रेडियो संचार) नियम, 1995, यथा संशोधित में दोहराया गया है कि "जीएमडीएसएस में भाग लेने के लिए आवश्यक जहाज पर रेडियो संचार कर्तव्यों के प्रभारी या कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रावधानों के तहत प्रशासन द्वारा जारी या मान्यता प्राप्त जीएमडीएसएस से संबंधित एक उचित प्रमाण पत्र " अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) रेडियो विनियम के तहत होना चाहिए।

1.2: वायरलेस योजना और समन्वय विंग, संचार मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) रेडियो विनियमों के प्रावधानों की आवश्यकता को लागू करता है, और जीएमडीएसएस जनरल ऑपरेटर्स सर्टिफिकेट (जीओसी) और प्रतिबंधित ऑपरेटर्स सर्टिफिकेट (आरओसी) परीक्षाओं का संचालन करता है तथा रेडियो उपकरण संचालित करने के लिए प्रमाण पत्र तथा लाइसेंस जारी करता है।

1.3: नौवहन महानिदेशालय, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय एसटीसीडब्ल्यू और एसओएलएएस कन्वेंशन के प्रावधानों की आवश्यकता को कार्यान्वित करता है और आवश्यक जीएमडीएसएस सक्षमता प्रमाणपत्र (सीओसी) और एसटीसीडब्ल्यू पृष्ठांकन जारी करता है।

9वीं मंज़िल, बीटा बिल्डिंग, आई थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजुर गाँव रोड, कांजुरमार्ग (पूर्व) मुंबई- 400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फ़ैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वेबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in

2. पाठ्यक्रम का उद्देश्य:

जीएमडीएसएस (आरओसी) पाठ्यक्रम पूरा करने वाले और सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को आपात स्थिति के दौरान जहाजों पर लगे सभी रेडियो संचार उपकरणों को कुशलतापूर्वक संचालित करने में सक्षम होना चाहिए। जीएमडीएसएस (आरओसी) प्रमाणपत्र धारकों को अंतर्देशीय जलमार्गों सहित समुद्री क्षेत्र ए1 के भीतर चलने वाले नदी-समुद्र जलयानों, मछली पकड़ने वाले जलयानों, अंतर्देशीय जलयानों और पत्तन क्राफ़्टों पर कार्य हेतु लगाया जा सकता है।

3. पात्रता मानदंड:

3.1: प्रतिबंधित ऑपरेटर प्रमाणपत्र (आरओसी) परीक्षा में बैठने की पात्रता संचार मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना संख्या सकानि 1088(ई) दिनांक 5 नवंबर 2018 उप-पैरा 2 (iii) और (iv) में निर्धारित की गई है। उक्त संदर्भ उप-पैरा 3.2 और 3.3 में उद्धृत किए गए हैं जैसा कि नीचे बताया गया है।

3.2: 2(iii) (II): "भारत में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा (माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण है या समुद्रीय बोर्डों या राज्य अथवा केंद्र सरकार के मत्स्योद्योग के वैधानिक निकायों द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र रखता है, केंद्र सरकार नियम 3 के उप-नियम (iv) के तहत प्रमाण पत्र की श्रेणी के लिए प्रवेश के लिए पात्र होंगे। और;

3.3: 2(iv) (सी) उप-नियम 3 (iv) के तहत प्रमाण पत्र की श्रेणी के मामले में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी संस्थान में जीएमडीएसएस उपकरणों पर कम से कम एक सप्ताह की अवधि का व्यावहारिक प्रशिक्षण लिया हो।

4. पाठ्यक्रम अवधि:

पाठ्यक्रम की अवधि चालीस (40) घंटे है और आवश्यक प्रशिक्षण पांच (5) दिनों में पूरा किया जाना है। सैद्धांतिक भाग बीस (20) घंटे का है और प्रैक्टिकल भाग बीस (20) घंटे का है।

5. पाठ्यचर्या:

5.1 जीएमडीएसएस (आरओसी) पाठ्यक्रम कि पाठ्यचर्या आईएमओ मॉडल कोर्स पाठ्यक्रम 1.26, संचार मंत्रालय के दिनांक 17 अगस्त 2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या पी-14036/01/2018-सीओपी दिनांक 17 अगस्त 2023 और नौवहन महानिदेशालय के परिपत्र में निहित दिशानिर्देशों द्वारा शासित होगा। प्रशिक्षण संस्थानों और संकायों को तदनुसार निर्देशित करने की आवश्यकता है।

5.2: प्रशिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम शुरू होने से पहले आईएमओ मॉडल पाठ्यक्रम के आधार पर हैंडआउट तैयार करेंगे और पाठ्यक्रम प्रतिभागियों के बीच परिपत्रित करेंगे। जीएमडीएसएस (जीओसी) प्रशिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली पाठ्यक्रम सामग्री का उपयोग जीएमडीएसएस (आरओसी) प्रशिक्षण के लिए भी किया जा सकता है, बशर्ते अध्ययन जीएमडीएसएस सागर क्षेत्र ए1 के दायरे में अध्ययन की सीमा के भीतर हो।

6. **परीक्षा कार्यक्रम:** कैलेंडर वर्ष के लिए परीक्षा का कार्यक्रम डब्ल्यूपीसी विंग, संचार मंत्रालय द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाएगा।

7. **परीक्षा विवरण**

7.1: परीक्षा दो परीक्षकों द्वारा आयोजित की जाएगी। एक परीक्षक डब्ल्यूपीसी से (अर्थात परीक्षा प्रभारी) और एक परीक्षक नौमनि से।

7.2: पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और उनके परिणाम तुरंत घोषित किए जाएंगे। परीक्षक प्रभारी सफल उम्मीदवारों को छह (6) महीने की वैधता के साथ तुरंत एक अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करेगा।

8. **परीक्षा पैटर्न:**

परीक्षा नीचे बताए गए तरीके से आयोजित की जाएगी;

8.1: लिखित परीक्षा:

इसमें 50 अंक होते हैं. इनके विषय आईटीयू रेडियो विनियम, जीएमडीएसएस सी एरिया1 के लिए एसओएलएएस की आवश्यकता और बुनियादी रेडियो संचार होंगे। प्रश्नों में बहुविकल्पीय प्रकार, रिक्त स्थानों को भरें, संक्षिप्त नोट्स आदि होंगे। कुल 25 प्रश्न होंगे जिनमें से प्रत्येक के दो अंक होंगे।

8.2: व्यावहारिक परीक्षा:

इसमें 50 अंक होते हैं. जीएमडीएसएस सी एरिया एएल के लिए जहाजों पर उपयोग किए जाने वाले रेडियो उपकरणों के संचालन और रखरखाव तथा संकट, तात्कालिकता, सुरक्षा, नियमित, खोज और बचाव और समुद्रीय सुरक्षा सूचना से संबंधित संचार पर व्यावहारिक और मौखिक परीक्षा की जाएगी।

8.3: परिणाम की घोषणा:

लिखित और व्यावहारिक परीक्षा दोनों के पूरा होने के बाद संयुक्त परिणाम घोषित किया जाएगा। उम्मीदवारों को लिखित और व्यावहारिक दोनों परीक्षाओं में शामिल होना होगा और उत्तीर्ण होने के लिए कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त करने होंगे।

9. परीक्षा शुल्क संरचना:

9.1: संचार मंत्रालय और नौवहन महानिदेशालय के लिए जीएमडीएसएस (आरओसी) परीक्षा शुल्क अलग से लिया जाएगा।

9.2: जीएमडीएसएस (आरओसी) परीक्षा के लिए नौवहन महानिदेशालय की फीस यथा समय-समय पर संशोधित वाणिज्य पोत (एसटीसीडब्ल्यू) नियम, 2014 की अनुसूची की धारा 1 (डी) के फीस शेड्यूल के रेडियो संचार फ़ंक्शन के अनुसार ली जाएगी।

9.3: जीएमडीएसएस (आरओसी) पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों से नौमनि परीक्षा शुल्क एकत्र करेंगे और इसे उम्मीदवारों की सूची के साथ संबंधित समुद्री वाणिजय विभागों (सवावि) को जमा करेंगे। भुगतान का तरीका भारतकोष पर ऑनलाइन होगा और संबंधित सवावि जिले के "प्रधान अधिकारी" के नाम पर होगा।

10. प्रशिक्षण संस्थानों की स्वीकृति:

10.1: सैद्धांतिक रूप में, जीएमडीएसएस (जीओसी) पाठ्यक्रम संचालित करने वाले सभी मौजूदा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान भी जीएमडीएसएस (आरओसी) पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए पात्र हैं। आरओसी पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। आरओसी पाठ्यक्रम के लिए बैच का प्रवेश संबंधित संस्थान के जीओसी पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदित संख्या के समान ही संख्या का होगा।

10.2: उदाहरण के लिए: यदि किसी संस्थान को जीओसी पाठ्यक्रम के लिए प्रति बैच 12 उम्मीदवारों और एक कैलेंडर वर्ष में 12 बैचों के लिए मंजूरी दी गई है, तो वही संस्थान आरओसी पाठ्यक्रम के लिए प्रति बैच 12 उम्मीदवारों और एक कैलेंडर वर्ष में 12 बैचों को ले सकता है, बशर्ते कि यह जीओसी पाठ्यक्रम की तिथियों से अलग तिथि पर आयोजित किया जाए।

10.3: प्रशिक्षण संस्थान हर समय यह सुनिश्चित करेंगे कि आरओसी पाठ्यक्रम का समय और संचाल जीएमडीएसएस (जीओसी) पाठ्यक्रम के साथ एक समय पर न हो और इसका संस्थान में चल रहे अन्य पाठ्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

11. **विदेशी नागरिकों के लिए पात्रता:**

एमओसी दिशानिर्देशों में निर्धारित सक्षमता प्रमाणपत्र, प्रवीणता प्रमाणपत्र या अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले विदेशी नागरिकों को भी जीएमडीएसएस (आरओसी) परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति है बशर्ते कि एमओसी द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचनाओं और दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा किया जाय।

12. **एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन के अनुसार जीएमडीएसएस-सीओसी जारी करना:**

12.1: जहाज पर रेडियो संचार कर्तव्यों के प्रभारी या प्रदर्शन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वाणिज्य पोतपरिवहन (संकट और सुरक्षा रेडियो संचार) नियम, 1995 के प्रावधानों के अनुपालन के अलावा वैश्विक समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणाली में भाग लेने के लिए सक्षमता प्रमाण- पत्र की आवश्यकता है।

12.2: प्रत्येक उम्मीदवार को सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु;

ए) आवेदन की तिथि को अठारह वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए;

बी) जीएमडीएसएस (आरओसी) प्रमाणपत्र और जहाज पर रेडियो इंस्टॉलेशन संचालित करने का लाइसेंस, जैसा लागू हो, और एसटीसीडब्ल्यू कोड की धारा ए-IV/2 में निर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा करता हो; और

सी) अनुच्छेद 2 के अनुभाग ए-VI/1 में निर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा करना।

12.3: एसटीसीडब्ल्यू कोड की तालिका ए-IV/2 में निर्धारित कार्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता के प्रदर्शन पर उम्मीदवार को सक्षमता प्रमाणपत्र (सीओसी) जारी किया जाएगा और एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन द्वारा अपेक्षित आवश्यक पृष्ठांकन बनाया जाएगा।

12.4: सीओसी वाणिज्य पोतपरिवहन (एसटीसीडब्ल्यू) नियम, 2014 यथा संशोधित के नियम 51 के अनुसार **अनुलग्नक-1** में निर्दिष्ट प्रारूप में जारी किया जाएगा।

12.5: जीएमडीएसएस (आरओसी) के लिए सीओसी नौवहन महानिदेशालय के ई-गवर्नेंस पोर्टल के माध्यम से संबंधित समुद्री वाणिज्य विभागों को ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। समय-समय पर संशोधित वाणिज्य पोतपरिवहन (एसटीसीडब्ल्यू) नियम, 2014 की धारा 31 (बी) या सी शुल्क अनुसूची में निर्दिष्ट आवेदन और प्रसंस्करण शुल्क के साथ आवश्यक दस्तावेज़ ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन एवं मुल्यांकन ऑनलाइन किया जाएगा और सीओसी जारी किया जाएगा।

12.6: जीएमडीएसएस (आरओसी) के लिए सीओसी का पुनर्वैधीकरण उन उम्मीदवारों को जारी किया जाएगा जो वाणिज्य पोतपरिवहन (एसटीसीडब्ल्यू) नियम, 2014 भाग की धारा 51 के भाग-ए के टीईएपी मैनुअल में निर्दिष्ट समुद्री समय की आवश्यकताओं को पूरा कर रहें हों या जीएमडीएसएस के संकाय के रूप में पढ़ाने या वीटीएस/पोर्ट नियंत्रण में जीएमडीएसएस से संबंधित कार्यों को करने का अनुभव हो या नए सिरे से पाठ्यक्रम उपस्थिति प्रमाण पत्र जमा किए हों।

13. **जीएमडीएसएस उपकरण संचालित करने की पात्रता:** जीएमडीएसएस (आरओसी) प्रमाणपत्र और एसटीसीडब्ल्यू सीओसी रखने वाला प्रत्येक रेडियो ऑपरेटर जहाज पर रेडियो इंस्टॉलेशन का स्वतंत्र प्रभार लेने से पहले समुद्र में कम से कम कुल दो सप्ताह की अवधि के लिए एक योग्य रेडियो ऑपरेटर के मार्गदर्शन में रेडियो की निगरानी और रखरखाव से जुड़े कार्यों का पालन करेगा। ।

14. इसे नॉटिकल सलाहकार, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(बालुंकेशोर महापात्र)
वरिष्ठ रेडियो सर्वेक्षक-सह-सनौमनि (तकनीकी)

(अस्वीकरण- हिन्दी या अंग्रेज़ी पाठ में असमानता होने या कानूनी विवाद की स्थिति में मूल अंग्रेज़ी पाठ ही मान्य होगा।)